

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## :: कार्यालय आदेश ::

निम्नांकित व्याख्याताओं (स्कूल शिक्षा) को उनके नाम के सामने अंकित तिथि अनुसार एवं नाम के सामने अंकित देशों की यात्रा (विदेश भ्रमण) हेतु वीजा बनाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम व्याख्याता मय पदस्थापन स्थान (राउमावि)	विषय	अवकाश अवधि	देश जिसकी यात्रा करनी है
1.	प्रमिला सिंघई, बा. नाहरी का नाका, जयपुर	भौतिक	15.05.18 से 15.06.18	(डेनवर कोलारिडो) अमेरिका
2.	श्याम लाल शर्मा, रामपुरारूपा, जयपुर	गणित	15.05.18 से 15.06.18	(आकलैण्ड) न्यूजीलैण्ड

उक्त कार्मिकों की विदेश यात्रा निम्नांकित शर्तों के आधार पर स्वीकृत की जाती है:-

1. उक्त कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवकाश से अधिक नहीं ठहरेंगे ।
2. उक्त कार्मिक का एकबार स्वीकृत अवकाश आगे नहीं बढ़ाया जायेगा ।
3. विदेश से भिजवाये गये त्याग - पत्र को स्वीकार नहीं किया जावेगा ।
4. कार्मिक विदेश में सेवा नियोजन का कार्य नहीं करेगा ।
5. उक्त यात्रा का समस्त व्यय कार्मिक स्वयं के स्तर पर वहन करेगा ।



(नथमल डिंडेल)  
आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 9-5-18

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-3/भौगकृ/अनापत्ति/2017

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) ।
2. संबंधित संस्था प्रधान ।
3. संबंधित कार्मिक ।
4. निजी/रक्षित पत्रावली ।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर